संख्या-17/2022/332/001-87-01099-21-2021

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड , गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग   लखनऊ : दिनांक 13 मई, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के सरकारी संस्थानों/अर्द्ध सरकारी संस्थानों के कार्यालय भवनों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु राज्यांश स्वीकृत/अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्यो-393/यूपीनेडा-जीसीआरटी-बजट/2022-23, दिनांक 27 अप्रैल, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रूफटॉप सोलर पॉवर प्लाण्ट की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) में से (लेखानुदान अवधि माह अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक के लिए) धनराशि रू0 83.00 लाख (रूपये तिरासी लाख मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी।
2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।
3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।
4- कार्य में प्रयोग की जानी वाली सामग्री/ उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
5- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
6- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने तथा तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।
7- द्विरावृत्ति से बचने के लिये कार्य की वीडियोग्राफी भी कराई जाय।
8- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
9- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31, मई, 2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा। धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

10- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध- करावाया जायेगा।

11- स्वीकृत धनराशि को आहरित व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व निदेशक, यूपीनेडा द्वारा प्रश्नगत कार्यक्रम /योजना से संबंधित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 83,00,000 (रुपये तिरासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810608000703 सरकारी संस्थानों/अर्द्ध सरकारी संस्थानों के कार्यालयों भवनों में रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/ 2021/बी-1-829/दस-2021-231/ 2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्याः 5/ 2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
कुलदीप सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-17/2022/332/001-87-01099-21-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
4- राज्य योजना आयोग-1
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कुलदीप सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in